

## थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम तथा उसमें लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा संयुक्त पुलिस टीम गठित की गयी।

उ०नि० राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित हुयी प्रथम पुलिस टीम ने अभियुक्ता रामदेवी पत्नी महेश राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर को 23 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया, बरामदगी के आधार पर थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 37/23 धारा 60 EX ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में उ०नि० शशांक देव शुक्ला के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त उदयभान राजपूत पुत्र स्व० स्वामीदीन उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर को एक प्लास्टिक की बोरी में 35 क्वार्टर देशी शराब अवैध के साथ गिरफ्तार किया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 39/2023 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।



### गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

1. उ०नि० राजेश कुमार
  2. कां. विकास सरोज
  3. म.कां. पूर्णिमा
1. उ०नि० शशांक देव शुक्ला
  2. का० अजमल महमूद

### बरामदगी-

1. अभियुक्ता रामदेवी पत्नी महेश राजपूत के कब्जे से 23 क्वार्टर अवैध देशी शराब।
2. अभियुक्त उदयभान राजपूत के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 35 क्वार्टर अवैध देशी शराब।

## पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व/निर्देशन पर जनपद में कानून व्यवस्था अक्षुण बनाये रखने तथा अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा नाकाबन्दी कर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान...।

दिनांक 24.02.2023 को जनपद प्रयागराज के थाना धूमनगंज में एक दुस्साहसिक घटना घटित हुयी, जिसके क्रम में प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 25.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व/निर्देशन पर जनपद में कानून व्यवस्था को अक्षुण बनाये रखने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूरे जिले की नाकाबन्दी करते हुये सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, इस सघन चेकिंग का उद्देश्य अपराधियों की गिरफ्तारी एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में कोई घटना न हो तथा इसके माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा स्थानीय लोगों में यह विश्वास दिलाना था कि जनपदीय पुलिस प्रशासन उनके साथ उनके सहयोग में सदैव तत्पर है सघन चेकिंग के दौरान **2W/4W** तथा अन्य ऐसे सभी वाहन जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हों उनकी चेकिंग की गयी प्रमुख रूप से बिना नंबर प्लेट, टेंपर्ड नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट, काली फिल्म लगे हुए वाहनों की सघन चेकिंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में समस्त थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा इसके लिये प्रत्येक चौकी इंचार्ज/थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिये गये थे कि किसी भी संभावित अपराध या किसी अन्य मामले से जुड़ा होने की स्थिति में वाहन चालकों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्वयं जनपद के बार्डर, महत्वपूर्ण एन्ट्री प्वाइंट्स, एक्सप्रेस वे, बैरियर इत्यादि विभिन्न स्थानों भ्रमणशील रही जिनके द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों में जाकर सघन चेकिंग अभियान का स्थलीय निरीक्षण करते हुये सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।



## थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 25.02.2023 को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में थाना चरखारी तथा थाना खरेला महोबा में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई की गयी इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए ।

इस अवसर पर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुयी सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े ।

जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।



पुलिस अधीक्षक महोबा ST. JOSEPH'S ENG. MED. SR. SEC. SCHOOL MAHOBA में आयोजित हुये वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्त अतिथि के रुप मे शामिल हुयी, होनहारों को पुरस्कृत कर दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनायें।

आज दिनांक 25.02.2023 को थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत **ST. JOSEPH'S ENG. MED. SR. SEC. SCHOOL MAHOBA** में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, आयोजन में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता मुख्य अतिथि के रुप में मौजूद रहीं जिनके द्वारा वार्षिक उत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया, इस दौरान स्कूल में वर्ष 2022-23 में आयोजित हुये विभिन्न प्रतियोगिताओं/प्राग्रामों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये शुभकामनाएं दी गई।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने अपने वक्तव्य में कहा कि वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में छात्रों से बात करने का अवसर मिला बच्चे ही देश का भविष्य है जिसके लिए उनको बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन मिलना चाहिए।

इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल फार रिचर्ड ए, फादर अशोक, समस्त स्कूल स्टाॅफ सहित मेधावी छात्र/छात्रायें मौजूद रहे।



## थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.02.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान 01 नफर वारण्टी अभियुक्त बबलू पुत्र राजू प्रजापति उम्र 26 वर्ष के विरुद्ध सम्बन्धित माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा मु०नं०- 123/18 धारा 379/511 भादवि में वारण्ट निर्गत किया गया था, जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

बबलू पुत्र राजू प्रजापति उम्र 26 वर्ष निवासी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सत्यवेन्द्र सिंह प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां० रामकुमार तिवारी



## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरपूर सा ।

आज दिनांक **25.02.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **124** ई-चालान किये गये ।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 25.02.2023

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस